श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष

R-279-PBR/17

रामकरण पिता श्री धन्ना
उम्र– वर्ष, धंधा–कृषि
निवासी– ग्राम– जामोदी, तह. व जिला–धार ....प्रार्थी

विरूद्ध

1. नंदीबाई पति स्व. श्री कालूराम रघुवंशी
   धंधा– कृषि
   निवासी–ग्राम– उटावद, तह. व जिला–धार

2. संतोष पिता श्री कालूराम
   धंधा–कृषि
   निवासी–ग्राम– उटावद, तह. व जिला–धार

3. समंदरसिंह पिता श्री कालूराम
   धंधा–कृषि
   निवासी–ग्राम– उटावद, तह. व जिला–धार ....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता–1959

प्रार्थी यह निगरानी माननीय तहसीलदार महोदय, तह. व जिला–धार के द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्र. 10/अ–27/15–16 नंदीबाई विरूद्ध रामकरण में दिनांक 18/07/16 को पारित आदेश, जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थी के आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 सीपीसी का निरस्त किया गया है, से असंतुष्ट होकर निम्न एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा ग्राम–जामोदी, तह. व जिला–धार की सर्वे नं. 15/2, 190, 196/3, 198/2, 199/5, 240/2 की कुल 1.45 हेक्टेयर कृषि भूमि में अपना 1/2 स्वत्व होने का दावा करते हुए बंटवारे बाबद् एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की सूचना की तामिली के पश्चात प्रार्थीगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(रामकरण/नंदीबाई)

प्रकरण कमांक निगरानी-279 –पीबीआर/17

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–1–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला धार के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18–07–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रकरण के निराकरण से कोई संबंध नहीं होने के कारण उन पर विचार नहीं कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	